उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों द्वारा हत्याएं

2921. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के तराई और पहाड़ी क्षेत्रों में हाल ही में आतंकवादियों ने हत्यायें की हैं; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Involvement of Bawarias in Crimes in Delhi

2922. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item published in the *Indian Express* (Delhi Edition) of the 21st November, 1991 under the caption 'on trial of the elusive Bawarias' regarding involvement of Bawarias in murder-*cum*-robbery cases in Delhi;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what action Government propose to take in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

मणीपुरी भाषा को संवैधानिक दर्जा

2923. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मणिपुरी भाषा को विधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग के संबंध में सरकार को अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और इस संबंध में एक प्रतिनिधि मंडल प्रधान मंत्री से मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) मणिपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग के संबंध में राजनैतिक सामाजिक कल्याण संगठनों तथा व्यक्तियों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; इस संबंध में मणिपुर के सभी राजनैतिक दलों तथा अन्य संगठनों के प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रधान मंत्री को ज्ञापन दिया गया है।

FIR in Accident Cases

2924. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) what are the norms for lodging FIR in Delhi Police Stations;

(b) whether there is any time limit for lodging FIR in accident cases where the victim is unable to contact the Police Station within 2-3 days;

(c) the number of applications, for lodging FIR in accident cases, received by the Parliament Street Police Station in the month of October, 1991 together with the cases where FIR were lodged and also where FIR were denied and the reasons for declining the request;

(d) whether it is a fact that application supported by medical records given to Parliament Street Police Station on 16th October, 1991 regarding accident which